प्रेषक,

निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

पत्रांकः 5672-77/दि0ज0स0वि0/2017–18 : दिनांक : 22 जनवरी, 2018

विषयः **दिव्यांगजनों हेतु आई0सी0टी0 को सुगम्य बनाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–112/65–2–2018–03(विविध)/2018 दिनांक 15 जनवरी, 2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सलाहकार (आई0टी0), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूरसंचार भवन, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 22.12.2017 द्वारा की गयी अपेक्षा के कम में दूरसंचार सेवाओं से दिव्यांगजनों को लाभ पहुँचाने हेतु समाधान के संबंध में टिप्पणी/परामर्श की ई–मेल **advisorit@trai.gov.in** पर दिनांक 22.01.2018 तक प्रेषित किये जाने एवं कृतकार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के क्रम में अगवत कराना है कि टेलीकॉम एण्ड ब्रॉड कास्टिंग सेक्टर में दिव्यांगजन की पहुँच हेतु सुगमता प्रदान किये जाने के लिए यूनाइटेड स्टेट एवं यूनाइटेड किंगडम के अनुरूप दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक्‌विकार से ग्रसित निःशक्तजन हेतु टेलीकॉम्यूनीकेशन की सेवाओं में आवश्यक संशोधन किया जाय, जो कि दिव्यांगजनों के लिए प्रकाशित अधिनियम एवं प्रचलित नियमावलियों की परिधि में हो इसी तरह संबंधित प्रकरण निस्तारण हेतु गाइड–लाईन भी बनायी जाय, जो कि दिव्यांगजनों की आवश्यकता के अनुरूप हो। उदाहरण स्वरूप जैसे :–

- Billing in accessible formats:
- Information about accessible services covered by the universal service obligation:
- Special measures of access for emergency situations such as the sms 112 project:
- Text Relay Services:
- Video Realy Service:
- Speech to Speech Relay Services:
- Quick dial and speed dial keys for mobile telephony
- Volume adjustment in handsets

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि दिव्यांगजन के उपयोगी आवश्यक उपकरणों को भी बाधारहित बनाने हेतु आवश्यक परिमार्जन/सुधार किये जायें। निःशक्तजन अधिकार अधिनियम–2016 की धारा **2(zc)** में प्रकाशित निःशक्तता के अनुसार दिव्यांगजन को सुधारात्मक संशोधन कर टेलीकॉम/ब्रॉड कास्टिंग को सहयोगात्मक बनाया जाये। कृपया उपरोक्तानुसार परामर्श/टिप्पणी आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय,

(अनूप कुमार यादव)
निदेशक।

<u>पृष्ठांकन एवं दिनांक उपरोक्तानुसारः</u>

<u>प्रतिलिपि</u>– प्रमुख सलाहकार (आई0टी0), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूरसंचार भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार पत्र में संदर्भित परामर्श/टिप्पणी पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(डा0 ए0के0 वर्मा)
संयुक्त निदेशक,
कृते निदेशक।

Scanned by CamScanner